"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अप्रैल 2013—वैशाख 5, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"टीप— (1) अनुसूची-एक के कॉलम (1) के सरल क्रमांक 9 के सहायक ग्रेड-3 के पद, जिला स्तरीय पद घोषित किये जाते हैं.

(2) सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए कलेक्टर नियुक्ति प्राधिकारी होंगे.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 के अनुसार, 2 वर्षों की कालावधि के लिये बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में उपलब्ध जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक पदों को छोड़कर) के पद, स्थानीय निवासियों से भरे जाएंगे."

2. अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में शीघ्रलेखक, स्टेनो-टाइपिस्ट तथा सहायक ग्रेड-तीन के समक्ष, जहां कहीं शब्द "छत्तीसगढ़ राज्य" आए हों, के पश्चात् शब्द "सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार" अन्तःस्थापित किया जाये.

3. कॉलम (2) में उल्लिखित शीघ्रलेखक के पद से संबंधित, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या (10+2) या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से भर्ती नियमों के अंतर्गत यथा विहित पात्रता या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक के लिए (हिन्दी)**— हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन उत्तीर्ण.

(ख) **शीघ्रलेखक के लिए (अंग्रेजी)**— अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन उत्तीर्ण.

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**— द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

4. कॉलम (2) में उल्लिखित स्टेनो-टाइपिस्ट के पद से संबंधित, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या (10+2) या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय से भर्ती नियमों के अंतर्गत यथा विहित पात्रता या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

5. कॉलम (2) में उल्लिखित सहायक ग्रेड-तीन के पद से संबंधित, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी मुद्रलेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए."

Raipur, the 25th April 2013

NOTIFICATION

No. F-1-19/2007/Seven-3 (Part-3).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. After Schedule-I, the following Note shall be added, namely :—

"**Note**—(1) The post of Assistant Grade-3 of column (1) of serial number 9 of Schedule-I, is declared District Level Post.

(2) The Collector shall be the Appointing Authority for the post of Assistant Grade-3.

(3) As per the Notification No. F-1-1/2012/1-3, dated 17-01-2012 of General Administration Department, available District Level Class-III posts (except executive post) in the districts coming under Bastar and Sarguja division shall be filled by the local resident for the period of 2 years."

2. In column (4) of Schedule-III, against the post of Stenographer, Steno-typist and Assistant Grade-3, after the words "Chhattisgarh State" wherever they occur, the words "as per the instructions issued by the General Administration Department from time to time" shall be inserted.

3. For the entries of column (5) of Schedule-III, relating to the post of Stenographer mentioned in column (2), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Should have passed Higher Secondary examination or passed (10+2) or first year examination of graduation course or eligibility as prescribed under recruitment rules from any recognized education Board/University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography and Typing Council :—

(a) **For Stenographer (Hindi)**— Passed Hindi Stenography and Hindi Typing in Computer with speed of 100 words per minute and 30 words per minute respectively for Hindi Stenographer.

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography and English Typing in Computer with speed of 100 words per minute and 35 words per minute respectively for English Stenographer.

(c) **For Bilingual Stenographer**— Passed certificate course of English and Hindi Shorthand and Typing in Computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer.

(3) Should have passed one year Diploma in Data Entry Operator/Programming for any recognized institute and speed of 10,000 (Key) depression per hour in data entry."

4. For entries of column (5) of Schedule III, against Steno-typist of column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary examination or passed (10+2) or first year examination of graduation course or eligibility as prescribed under recruitment rules from any recognized education Board/University.

(2) Should have passed Hindi Typing in computer with speed of 25 words per minute from recognized Board/Institute and should have speed of 60 words per minute for Hindi Shorthand.

(3) Should have passed one year Diploma in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of 5,000 (Key) depression per hour in data entry."

5. For the entries of column (5) of Schedule III, relating to the post of Assistant Grade-3 mentioned in column (2), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) examination from any recognized Board.

(2) Should have passed one year Diploma/Certificate of Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) Should have Speed of 5000 Key depression per hour in Hindi typing in Computer."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.